



भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



By E-Mail

No.DE-130-(ARPM-General)-2022/ 88

Dated the 24 November, 2022

To

1. The Principal Secretary (Medical Education/Health & Family Welfare) of all State/UT Governments
2. The Directors of Medical Education Departments of all State/UT's

Sub: - Request to provide the fee structure for different quota & categories regarding the BDS and MDS courses – Regarding

Sir/Madam,

I am directed to inform that the Executive Committee of DCI in its meeting held on 12.10.2022 considered various representations received from the NEET MDS aspirants thereby referring to the guidelines issued by NMC regarding the fee structure of Medical (MBBS, MD, MS) Courses inter-alia mentioning that 50% seats of all Deemed and private institutions will be according to the Government fee structure for UG and PG courses and requested to this Council to issue the similar guidelines for dental courses. In this regard, the Executive Committee of the Dental Council of India after discussion and deliberation, decided to request all the State Governments / DMEs of all State/UTs to provide the fee structure for different quotas and categories in respect of BDS and MDS courses in all the dental colleges under their ambit.

2. Accordingly, it is requested to kindly provide the fee structure for different quota and categories in respect of BDS and MDS courses in all the dental colleges under your ambit, with proper justification and relevant documents, to this Council for consideration.
3. You are requested to furnish the requisite information/documents to this Council by return email/speed post at the earliest.

Yours faithfully,


(Vikas Chawda)

Secretary-Incharge
Dental Council of India

C.C.

The President, Dental Council of India



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



ई-मेल द्वारा

सं.डीई-130-(ए.आर.पी.एम.-जनरल)-2022/591

दिनांक 24 नवंबर, 2022

सेवा में,

1. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रधान सचिव (चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)।
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चिकित्सा शिक्षा विभागों के निदेशक

विषय:- सभी बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों के संबंध में विभिन्न कोटा और श्रेणियों के लिए शुल्क संरचना प्रदान करने के संबंध में अनुरोध

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि भारतीय दंत परिषद की कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 12.10.2022 को आयोजित अपनी बैठक में NEET एमडीएस उम्मीदवारों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया, जिसमें मेडिकल (एमबीबीएस, एमडी, एमएस) पाठ्यक्रमों की फीस संरचना के संबंध में NMC द्वारा जारी दिशा निर्देशों का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह उल्लेखित है कि सभी डीम्ड और निजी संस्थानों में UG और PG पाठ्यक्रमों की 50% सीटों के लिए शुल्क सरकारी संरचना के अनुसार होंगे और इस परिषद से समान दिशानिर्देश दंत पाठ्यक्रमों के लिए जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, भारतीय दंत परिषद की कार्यकारी समिति ने चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, सभी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों /डीएमई से अनुरोध करने का निर्णय लिया है कि अपने अंतर्गत आने वाले सभी डेंटल कॉलेजों के बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में विभिन्न कोटा और श्रेणियों की शुल्क संरचना प्रदान करें।

2. तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने अंतर्गत आने वाले सभी डेंटल कॉलेजों के बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में विभिन्न कोटा और श्रेणियों की शुल्क संरचना, उचित औचित्य और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ, इस परिषद को विचार के लिए प्रदान करें।

3. आपसे अनुरोध है कि अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज जल्द से जल्द रिटर्न ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा इस परिषद को प्रस्तुत करें।

आपका विश्वासी,

(विकास चावड़ा)

सचिव प्रभारी

भारतीय दंत परिषद

प्रतिलिपि

अध्यक्ष, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद